



THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956

(Act No. 30 of 1956)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 30) ucc

[Enforcement Date: 17 June 1956]



Ch. No.	HINDU SUCCESSION ACT, 1956 (Chapter Wise)	Sections
I	Preliminary / प्रारम्भिक	1-4
II	Intestate Succession/ निर्वसीयती उत्तराधिकार	5-29
III	Testamentary Succession / वसीयती उत्तराधिकार	30
IV	Repeals / निरसन	31
-	Schedule / अनुसूची	

Hindu Succession Act, 1956 Joint **Hindu Succession Act, 1956** N.A. to certain property (Sec. 5) (WHHOW WIII) Intestate Succession **Testamentary Succession** [sec. 30] Hindu male [Sec. 8-13] Hindu Female [Sec. 14-16] **General Rule** · Property shall be her absolute 9- Order of Succession property 10- Heir I Distribution **General Rule** 11- Heir II Distribution · Order of succession & Manner of 12- Agnate - Cognate Distribution Distribution 13- Computation of Degree.



Preferences & Presumption

[Sec. 18-22]

- 18- Full blood preferred half blood
- 19- Simultaneous succession by 2 or more hours
- 20- Right of child in womb
- 21- Presumption as to simultaneous death
- 22- Preferential right to acquire property in certain cases

प्रकाश बनाम फुलबंती

Other Special Cases

- 9.9.2005 6- Devolution of interest in co-parcenary property w.r.t. Hindu Female
 - 7- Devolution of interest in property तरवाड़, कुटुम्ब, कबरू या इल्लम
 - 17- Person governed by मरूमक्कलायम या अलियसन्तान laws

Disqualification as to succession (sec. 25 - 29)

- 25- Murderer disqualified
- 26- Convert descendant disqualified
- 27- Succession, when heirs disqualified
- 28- Disease, defect etc, not to disqualify
- 29- Escheat (राजगामित्त्व) : failure of heirs


Joint P




Difference Between Two Schools of Hindu Laws


Feature	Mitakshara School	Dayabhaga School
Prevalence	Most of India	Bengal, Assam
Coparcenary	Yes Joint Propuly	No X
Inheritance	By birth	After father's death
Partition	During father's lifetime	After father's death
Daughters' Rights	Limited, but increased by 2005 amendment	More liberal, even before legal changes

Note: The main difference between the schools lies in their approach to joint family property, inheritance, and the rights of women. The Mitakshara school emphasizes the concept of coparcenary and birthrights, while the Dayabhaga school focuses on individual ownership and inheritance after death.











Prakash and others v. Phulavati and others (2016) 2 SCC 36

Date of Judgment: 16th October, 2015

Bench: Adarsh Kumar Goel, Anil R. Dave

Issues:

- 1. Whether the Hindu Succession Amendment Act 2005 applicable on notional partition? --As per Supreme Court in the notional partition, shares in the Ancestral Properties were already given to the heirs under the Hindu Succession Act, 1956. The said rights cannot be taken away by an amendment to the Principal Act.
- 2. Whether the Hindu Succession Amendment Act 2005 will have retrospective effect? --The Supreme Court further states that in the Hindu Succession Amendment Act 2005, the legislature expressly said through section 6(5), nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December 2004



Case: Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma

The Matter Heard by Bench: Justice Arun Mishra, Justice M. R. Shah and Justice S. Abdul Nazeer

Background

In the case in hand, Vineeta Sharma, the Plaintiff/Appellant, had filed a suit claiming her share of ancestral property against her family members including her brother Rakesh Sharma. She contended that since her father, Mr. Dev Dutt Sharma had died intestate, she could have the right over the property among other heirs. According to Vineeta Sharma, as the property was not included in HUF, she is entitled to the 1/4 th of her father's property.

In this case, the Delhi High Court held that since the appellant's father died on 11 th December, 1999, before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, did not benefit the appellant. Aggrieved by this decision, the Plaintiff filed an appeal in the Supreme Court.

Issues

- 1. Whether the daughter can claim her coparcenary rights (according to the 2005 Amendment) after the death of her father?
- 2. Whether the nature of the Act is retrospective, prospective or retroactive?


Observation

The Supreme Court observed that "It is not necessary to form a coparcenary or to become a coparcener that a predecessor coparcener should be alive; relevant is birth within degrees of coparcenary to which it extends... In substituted Section 6, the expression daughter of a living coparcener has not been used. Right is given under Section 6(1)(a) to the daughter by birth. Declaration of right based on the past event was made on 9.9.2005 and as provided in Section 6(1(b), daughters by their birth, have the same rights in the coparcenary, and they are subject to the same liabilities as provided in Section 6(1)(c). Any reference to the coparcener shall include a reference to the daughter of a coparcener. The provisions of Section 6(1) leave no room to entertain the proposition that coparcener should be living on 9.9.2005 through whom the daughter is claiming."

Decision

The Supreme Court held that the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 will have a retrospective effect and daughters who were born before or after the amendment shall be deemed to be the coparceners in the ancestral property.







Sec. No. Title

CHAPTER I PRELIMINARY / प्रारम्भिक

- 1. Short title and extent /संक्षिप्त नाम और विस्तार
- 2. Application of Act /अधिनियम का लागू होना
- 3. Definitions and interpretation /परिभाषाएं और निर्वचन
- 4. Overriding effect of Act / अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

CHAPTER II INTESTATE SUCCESSION/ निर्वसीयती उत्तराधिकार General

- 5. Act not to apply to certain properties
- 6. अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना
 Devolution of interest in coparcenary property
 सहदायिकी सम्पत्ति में के हित का न्यागमन

- 7. Devolution of interest in the property of a tarwad, tavazhi, kutumba, kavaru or illom
- 8. General rules of succession in the case of males पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम
- Order of succession among heirs in the Schedule अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम
- 10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण
- 11. Distribution of property among heirs in class II of the Schedule अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण 12. Order of succession among agnates and cognates
 - Order of succession among agnates and cognates गोत्रजों और बन्धुओं में उत्तराधिकार का क्रम
 - 13. Computation of degrees / डिग्रियों की संगणना
 - 14. Property of a female Hindu to be her absolute property हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पत्ति होगी



- 15. General rules of succession in the case of female Hindus हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम
- 16. Order of succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu / हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति
- 17. Special provisions respecting persons governed by marumakkattayam and aliyasantana laws / मरुमक्कत्तायम् और अलियसन्तान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबन्ध

General provisions relating to succession

उत्तराधिकार से संबंधित साधारण उपबंध

- 18. Full blood preferred to half blood / पूर्णरक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है
- 19. Mode of succession of two or more heirs दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग
- 20. Right of child in womb / गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार
- 21. Presumption in cases of simultaneous deaths
- सम-सामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा
- 22. Preferential right to acquire property in certain cases कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार



```
23.
       Omitted / लोपित
       Omitted / लोपित
24.
      Murderer disqualified / हत्या करने वाला निरर्हित होगा
25.
       Convert's descendants disqualified / संपरिवर्तितों के वंशज निरर्हित होंगे
26.
       Succession when heir disqualified / उत्तराधिकार जबकि वारिस निरर्हित हो
27.
       Disease, defect, etc., not to disqualify / रोग, त्रुटि आदि से निरर्हता न होगी
28.
                                  Escheat / राजगामित्व
       Failure of heirs वारिसों का अभाव
29.
                                     CHAPTER III
                  JESTAMENTARY SUCCESSION / वसीयती उत्तराधिकार
       Testamentary succession / वसीयती उत्तराधिकार
30.
                                     CHAPTER IV
                                       REPEALS
```

- 31. Repealed / निरसित
 - Schedule / अनुसूची



THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 ACT NO. 30 OF 1956

[17th June, 1956.]

An Act to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus.

BE it enacted by Parliament in the Seventh Year of the Republic of India as follows: —

CHAPTER I PRELIMINARY

Short title and extent.

- (1) This Act may be called the Hindu Succession Act, 1956.
- (2) It extends to the whole of India



हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 30)

[17 जून, 1956]

हिन्दुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

- (1) यह अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।



2. Application of Act.

- (1) This Act applies—
 - (a) to any person, who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj,
 - (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and
 - (c) to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.



अधिनियम का लागू होना

- (1) यह अधिनियम लागू है-
 - (क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिन्दू हो;
 - (ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिक्ख हो; तथा
 - (ग) ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबन्धित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता।

Explanation.—The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be:—

- (a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion;
- (b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged;
- (c) any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.
- (3) The expression "Hindu" in any portion of this Act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.



स्पष्टीकरण—निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः, यथास्थिति, हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हैं :-

- (क) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता दोनों ही धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हों;
- (ख) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुम्ब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था;
- (ग) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो ।
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे।
- (3) इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए "हिन्दू" पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिन्दू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अधिनियम इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर लागू होता है ।



3. Definitions and interpretation.

- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,
 - (a) "agnate"—one person is said to be an "agnate" of another if the two are related by blood or adoption wholly through males;
 - (b) "aliyasantana law" means the system of law applicable to persons who, if this Act had not been passed, would have been governed by the Madras Aliyasantana Act, 1949, or by the customary aliyasantana law with respect to the matters for which provision is made in this Act;
 - (c) '\'<u>cognate</u>"—one person is said to be a "cognate" of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through males;
 - (d) the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family:

Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy: and



3. परिभाषाएं और निर्वचन

- (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "गोत्रज"-एक व्यक्ति दूसरे का "गोत्रज" कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हों;
 - (ख) "अलियसन्तान विधि" से वह विधि-पद्धित अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास अलियसन्तान ऐक्ट, 1949 द्वारा या रूढ़िगत अलियसन्तान विधि द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होता जिनके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है;
 - (ग) "बन्धु" एक व्यक्ति दूसरे का "बन्धु" कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हों किन्तु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं;
 - (घ) "रूढ़ि" और "प्रथा" पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरन्तर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुम्ब के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो: परन्तु यह तब जब कि नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो: तथा

Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family;

- (e) full blood "half blood" and "uterine blood"—
 - (i) two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives;
 - (ii) two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands;

Explanation.— In this clause "ancestor" includes the father and "ancestress" the mother;

(f) "heir" means any person, male or female, who is entitled to succeed to the property of an intestate under this Act;

परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुम्ब को ही लागू हो, उसकी निरन्तरता उस कुटुम्ब द्वारा बन्द न कर दी गई हो;

- (ङ) "पूर्णरक्त", "अर्धरक्त" और "एकोदररक्त"
 - (i) कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्णरक्त द्वारा सम्बन्धित कहे जाते हैं जबिक वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हुए हों, और अर्धरक्त द्वारा सम्बन्धित कहे जाते हैं जबिक वे एक ही पूर्वज से किन्तु उसकी भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हुए हों;
 - (ii) दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदररक्त द्वारा सम्बन्धित कहे जाते हैं जब कि वे एक ही पूर्वजा से किन्तु उसके भिन्न पतियों से अवजनित हुए हों। स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "पूर्वज " पद के अन्तर्गत पिता आता है और "पूर्वजा" के अन्तर्गत माता आती है;
- (च) "<mark>वारिस</mark>" से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे वह पुरुष हो, या नारी, जो निर्वसीयत की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है;

- (g) "intestate"—a person is deemed to die intestate in respect of property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect;
- (h) "marumakkattayam law" means the system of law applicable to persons—
 - (a) who, if this Act had not been passed, would have been governed by the Madras Marumakkattayam Act, 1932; the Travancore Nayar Act; the Travancore Ezhava Act; the Travancore Nanjinad Vellala Act; the Travancore Kshatriya Act; the Travancore Krishnanvaka Marumakkathayam Act; or the Cochin Nayar Act; with respect to the matters for which provision is made in this Act; or
 - (b) who belong to any community, the members of which are largely domiciled in the State of Travancore Cochin or Madras [as it existed immediately before the 1st November, 1956, and who, if this Act had not been passed, would have been governed with respect to the matters for which provision is made in this Act by any system of inheritance in which descent is traced through the female line;

but does not include the aliyas antana law;

- (छ) "निर्वसीयत" कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी सम्पत्ति के बारे में ऐसा वसीयती व्ययन न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो, वह उस सम्पत्ति के विषय में निर्वसीय मरा समझा जाता है;
- (ज) "मरुमक्कत्तायम् विधि" से विधि की वह पद्धति अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है—
 - (क) जो यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो मद्रास मरुमक्कत्तायम् ऐक्ट, 1932, ट्रावनकोर नायर ऐक्ट, ट्रावनकोर ईषधा ऐक्ट, ट्रावनकोर नान्जिनाड वेल्लाल ऐक्ट, ट्रावनकोर क्षेत्रीय ऐक्ट, ट्रावनकोर कृष्णवका मरुमक्कत्तायी ऐक्ट, कोचीन मरुमक्कत्तायम् ऐक्ट या कोचीन नायर ऐक्ट द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है; अथवा
 - (ख) जो ऐसे समुदाय के हैं जिसके सदस्य अधिकतर तिरुवांकुर कोचीन या मद्रास राज्य में, जैसा कि वह पहली नवम्बर, 1956 के अव्यवहित पूर्व अस्तित्व में था अधिवासी हैं और यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो जो उन विषयों के बारे में जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है विरासत की ऐसी पद्धित द्वारा शासित होते जिसमें नारी परम्परा के माध्यम से अवजनन गिना जाता है; किन्तु इसके अंतर्गत अलियसन्तान विधि नहीं आती;

- (i) "nambudri law" means the system of law applicable to persons who, if this Act had not been passed, would have been governed by the Madras Nambudri Act, 1932 Madras Act; the Cochin Nambudri Act; or the Travancore Malayala Brahmin Act; with respect to the matters for which provision is made in this Act;
- (j) "related" means related by legitimate kinship:

 Provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mother and to one another, and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them and to one another; and any word expressing relationship or denoting a relative shall be construed accordingly.
- (2) In this Act, unless the context otherwise requires, words importing the masculine gender shall not be taken to include females.

- (झ) "नंबूदिरी विधि" से विधि की वह पद्धित अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास नम्बूदिरी ऐक्ट, 1932, कोचीन नम्बूदिरी ऐक्ट या ट्रावनकोर मलायल्ल ब्राह्मण ऐक्ट द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है;
- (ञ) "सम्बन्धित" से अभिप्रेत है, धर्मज द्वारा सम्बन्धित:

 परन्तु अधर्मज अपत्य अपनी माता से और परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित समझे

 जाएंगे और उनके धर्मज वंशज उनसे और परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित समझे

 जाएंगे और किसी भी ऐसे शब्द का जो सम्बन्ध को अभिव्यक्त करे या संबंधी को

 घोषित करे तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- (2) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पुल्लिंग संकेत करने वाले शब्दों के अंतर्गत नारियां न समझी जाएंगी ।



4. Overriding effect of Act.

- (1) Save as otherwise expressly provided in this Act,—
 - (a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;
- [5A-1923)
- any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act.
- (c) omitted



अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

- (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय—
 - (क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी;
 - (ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिन्दुओं को लागू होना वहां तक बन्द हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी से भी असंगत हो।
 - (c) लोपित



CHAPTER II INTESTATE SUCCESSION General

- Act not to apply to certain properties.
 - This Act shall not apply to—
 - (i) any property succession to which is regulated by the Indian Succession Act, 1925, by reason of the provisions contained in section 21 of the Special Marriage Act, 1954;
 - (ii) any estate which descends to a single heir by the terms of any covenant or agreement entered into by the Ruler of any Indian State with the Government of India or by the terms of any enactment passed before the commencement of this Act;
 - (iii) the Valiamma Thampuran Kovilagam Estate and the Palace Fund administered by the Palace Administration Board by reason of the powers conferred by Proclamation dated 29th June, 1949, promulgated by the Maharaja of Cochin.



अध्याय 2

निर्वसीयती उत्तराधिकार

साधारण

- अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा-
 - (i) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार, विशेष अधिनियम, 1954 की धारा 21 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा विनियमित होता है;
 - (ii) ऐसी किसी सम्पदा को जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई प्रसंविदा करार के निबन्धनों द्वारा या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबन्धनों द्वारा किसी एकल वारिस को अवजनित हुई है;
 - (iii) विलयम्म तंबुरान केविलगम् सम्पदा पैलेस फण्ड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा 29 जून, 1949 को प्रख्यापित उद्घोषणा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडिमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है।



- 6. Devolution of interest in coparcenary property.
 - (1) On and from the commencement of the Hindu Succession . (Amendment) Act, 2005 in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,
 - (a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;
 - (b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;
 - (c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:



6. सहदायिकी सम्पत्ति में के हित का न्यागमन

- (1) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री, -
 - (क) जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है;
 - (ख) सहदायिकी संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती;
 - (ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मलित है:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

- (2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section (1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition.
- (3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 his interest in the property of a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenery property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and,—

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्यसंक्रामण को, जिसके अंतर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी।

- (2) कोई संपत्ति, जिसके लिए कोई हिन्दू नारी उपधारा (1) के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व की प्रसंगतियों सिहत धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती व्ययन द्वारा उसके द्वारा किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी।
- (3) जहां किसी हिन्दू की, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की संपत्ति में उसका हित, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत हो जाएगा परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था, और —

- P
- (a) the daughter is allotted the same share as is allotted to a son;
- (b) the share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; and
- (c) the share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as the case may be.

Explanation. — For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.



- (क) पुत्री को वही अंश आबंटित होगा जो पुत्र को आबंटित किया गया है;
- (ख) पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश, जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आबंटित किया जाएगा; और
- (ग) किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथास्थिति, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आबंटित किया जाएगा।

 स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जाएगा जो उसे आबंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किए बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

- (4) After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 no court shall recognise any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt:

 Provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 nothing contained in this subsection shall affect
 - (a) the right of any creditor to proceed against the son, grandson or greatgrandson, as the case may be; or
 - (b) any alienation made in respect of or in satisfaction of, any such debt, and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 had not been enacted.

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् कोई न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह, या प्रपितामह से शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिन्दू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे किसी ऋण को चुकाने के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा:

परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी,

- (क) यथास्थिति, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी ऋणदाता का अधिकार; या
- (ख) किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रामण और कोई ऐसा अधिकार या संक्रामण पिवत्र बाध्यता के नियम के अधीन वैसी ही रीति में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता जबिक हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित न किया गया होता।

- Explanation. For the purposes of clause (a), the expression "son", "grandson" or "great-grandson" shall be deemed to refer to the son, grandson or great-grandson, as the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005
- (5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December, 2004

 Explanation.— For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 or partition effected by a decree of a court.

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" पद से यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के प्रति निर्देश है, जो हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पूर्व पैदा हुआ या दत्तक ग्रहण किया गया था।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है।

- Devolution of interest in the property of a tarwad, tavazhi, kutumba, kavaru or illom.
 - (1) When a Hindu to whom the marumakkattayam or nambudri law would have applied if this Act had not been passed dies after the commencement of this Act, having at the time of his or her death an interest in the property of a tarwad, tavazhi or illom, as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the marumakkattayam or nambudri law. Explanation.—For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a tarwad, tavazhi or illom shall be deemed to be the share in the property of the tarwad, tavazhi or illom, as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property per capita had been made immediately before his or her death among all the members of the tarwad, tavazhi or illom, as the case may be, then living, whether he or she was entitled to claim such partition or not under the marumakkattayam or nambudri law applicable to him or her, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely.



- तरवाड, ताविष, कुटुम्ब, कवरु या इल्लम् की सम्पत्ति में हित का न्यागमन
 - (1) जबिक कोई हिन्दू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमक्कतायम् या नंबुदिरी विधि लागू होती इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अपनी मृत्यु के समय, यथास्थिति, तरवाड, ताविष या इस्लम् की सम्पत्ति में हित रखते हुए मरे तब सम्पत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, मरुमक्कतायम् या नंबुदिरी विधि के अनुसार नहीं।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तरवाड, ताविष या इल्लम् की सम्पत्ति में हिन्दू का हित, यथास्थिति, तरवाड, ताविष या इल्लम् की सम्पत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति, तरवाड़, ताविष या इल्लम् के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस सम्पत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अपने को लागू मरुमक्कातायम् या नंबुदिरी विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं तथा ऐसा अंश उसे बांट में आत्यंतिकतः दिया गया समझा जाएगा।

(2) When a Hindu to whom the aliyasantana law would have applied if this Act had not been passed dies after the commencement of this Act, having at the time of his or her death an undivided interest in the property of a kutumba or kavaru, as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the aliyasantana law.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a kutumba or kavaru shall be deemed to be the share in the property of the kutumba or kavaru, as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property per capita had been made immediately before his or her death among all the members of the kutumba or kavaru, as the case may be, then living, whether he or she was entitled to claim such partition or not under the aliyasantana law, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely.

(2) जबिक कोई हिन्दू, जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो अलियसन्तान विधि लागू होती इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अपनी मृत्यु के समय, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरू की सम्पत्ति में अविभक्त हित रखते हुए मरे तब सम्पत्ति में उसका अपना हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, अलियसन्तान विधि के अनुसार नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कुटुम्ब या कवर की सम्पत्ति में हिन्दू का हित, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरु की सम्पत्ति में अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरु के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस सम्पत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अलियसन्तान विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं तथा ऐसा अंश उसे बांट में आत्यंतिकतः दे दिया गया समझा जाएगा।

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), when a sthanamdar dies after the commencement of this Act, the sthanam property held by him shall devolve upon the members of the family to which the sthanamdar belonged and the heirs of the sthanamdar as if the sthanam property had been divided per capita immediately before the death of the sthanamdar among himself and all the members of his family then living,, and the shares falling to the members of his family and the heirs of the sthanamdar shall be held by them as their separate property.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the family of a sthanamdar shall include every branch of that family, whether divided or undivided, the male members of which would have been entitled by any custom or usage to succeed to the position of sthanamdar if this Act had not been passed.

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई स्थानम्दार मरे तब उसके द्वारा धारित स्थानम् सम्पत्ति उस कुटुम्ब के सदस्यों को जिसका वह स्थानम्दार है और स्थानम्दार के वारिसों को ऐसे न्यागत होगी मानो स्थानम् सम्पति स्थानम्दार और उसके उस समय जीवित कुटुम्ब के सब सदस्यों के बीच स्थानम्दार की मृत्यु के अव्यवहित पूर्व व्यक्तिवार तौर पर विभाजित कर दी गई थी और स्थानम्दार के कुटुम्ब के सदस्यों और स्थानम्दार के वारिसों को जो अंश मिले उन्हें वे अपनी पृथक् सम्पत्ति के तौर पर धारित करेंगे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थानम्दार के कुटुम्ब के अंतर्गत उस कुटुम्ब को, चाहे विभक्त हो या अविभक्त, हर वह शाखा आएगी जिसके पुरुष सदस्य यदि अधिनियम पारित न किया गया होता तो किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर स्थानम्दार के पद पर उत्तरवर्ती होने के हकदार होते।



8. General rules of succession in the case of males.

The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—

- (LPSS-I(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
 - (b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
 - (c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
 - (d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.



- पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम
 - निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:-
 - (क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;
 - (ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;
 - (ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को;तथा
 - (घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बन्धुओं को ।



- 9. Order of succession among heirs in the Schedule.
 - Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.
- 9. अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम
 - अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।



10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—


Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—

- among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;
- (ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.





10. अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण

निर्वसीयत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी-

नियम 1 – निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा ।

नियम 2 - निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक-एक अंश मिलेगा।

नियम 3 – निर्वसीयत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा ।

नियम 4- नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण-

- (i) पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को (या सब विधवाओं को मिलाकर) और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हों, और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा को वही भाग प्राप्त हो ।
- (ii) पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो ।

11. Distribution of property among heirs in class II of the Schedule.

The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class II of the Schedule so that they, share equally.

11. अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसीयत की सम्पत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले ।



12. Order of succession among agnates and cognates.

The order of succession among agnates or cognates, as the case may be, shall be determined in accordance with the rules of preference laid down hereunder:—

Rule 1.— Of two heirs, the one who has fewer or no degrees of ascent is preferred.

Rule 2.— Where the number of degrees of ascent is the same or none, that heir is preferred who has fewer or no degrees of descent.

Rule 3.— Where neither heir is entitled to be preferred to the other under Rule 1 or Rule 2 they take simultaneously.



गोत्रजों और बन्धुओं में उत्तराधिकार का क्रम

गोत्रजों या बन्धुओं में, यथास्थिति, उत्तराधिकार का क्रम यहां नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा-

नियम 1 – दो वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी उपरली ओर की डिग्रियां अपेक्षातर कम हों या हों ही नहीं।

नियम 2 – जहां कि उपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान हो या हों ही नहीं उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षातर कम हों या हों ही नहीं।

नियम 3 – जहां कि नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई भी वारिस दूसरे से अधिमान का हकदार न हो वहां वे दोनों साथ-साथ अंशदायी होंगे ।




13. Computation of degrees.

(1) For the purposes of determining the order of succession among agnates or cognates, relationship shall be reckoned from the intestate to the heir in terms of degrees of ascent or degrees of descent or both, as the case may be.

(2) Degrees of ascent and degrees of descent shall be computed inclusive of the intestate.

(3) Every generation constitutes a degree either ascending or descending.





13. डिग्रियों की संगणना

- (1) गोत्रजों या बन्धुओं के बीच उत्तराधिकार क्रम के अवधारण के प्रयोजन के लिए निर्वसीयत से, यथास्थिति, उपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के अनुसार के वारिस के सम्बन्ध की संगणना की जाएगी।
- (2) उपरली डिग्री और निचली डिग्री की संगणना निर्वसीयत को गिनते हुए की जाएगी।
- (3) हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है चाहे उपरली चाहे निचली ।



14. Property of a female Hindu to be her absolute property.

(1) Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner.

Explanation.—In this sub-section, "property" includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this Act.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property.



14. हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पत्ति होगी

- (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।
 - स्पष्टीकरण इस उपधारा में "सम्पत्ति" के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान, विल या अन्य लिखत अथवा डिग्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन ऐसी सम्पत्ति में निर्बन्धित सम्पदा विहित करते हों।



- 15. General rules of succession in the case of female Hindus.
- (1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16,—
 - (a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;
 - (b) secondly, upon the heirs of the husband;
 - (c) thirdly, upon the mother and father;
 - (d) fourthly, upon the heirs of the father; and
 - (e) lastly, upon the heirs of the mother.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),— 🗸
 - (a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any predeceased son or daughter) not upon the other heirs referred in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and
 - (b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband.



हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम

- (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी
 - (क) प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को
 - (ख) द्वितीयतः पति के वारिसों को ;
 - (ग) तृतीयतः माता और पिता को :
 - (घ) चतुर्थतः पिता के वारिसों को; तथा
 - (ङ) अन्ततः माता के वारिसों को ।
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -
 - (क) कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी; तथा
 - (ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पित या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पित के वारिसों को न्यागत होगी ।

(fg

16. Order of succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu.

The order of succession among the heirs referred to in section 15 shall be, and the distribution of the intestate's property among those heirs shall take place, according to the following rules, namely:

Rule 1.—Among the heirs specified in sub-section (1) of section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously.

Rule 2.—If any son or daughter of the intestate had pre-deceased the intestate leaving his or her own children alive at the time of the intestate's death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death.

Rule 3.—The devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses (b), (d) and(e)of sub-section (1) and in sub-section (2) of section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death.



16. हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति

धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात् :

नियम 1 – धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अंतर्गत हो, वे साथ-साथ अंशभागी होंगे।

नियम 2 – यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती।

नियम 3 - धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (घ) और (ङ) में और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की सम्पत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि सम्पत्ति, यथास्थिति, पिता की या माता की या पित की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् उस सम्पत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता।

17. Special provisions respecting persons governed by marumakkattayam and aliyasantana laws.

The provisions of sections 8, 10, 15 and 23 shall have effect in relation to persons who would have been governed by the marumakkattayam law or aliyasantana law if this Act had not been passed as if—

- (i) for sub-clauses (c) and (d) of section 8, the following had been substituted, namely:—
 - "(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon his relatives, whether agnates or cognates.";
- (ii) for clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 15, the following had been substituted, namely:—
 - "(a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the mother;
 - (b) secondly, upon the father and the husband;
 - (c) thirdly, upon the heirs of the mother;
 - (d) fourthly, upon the heirs of the father; and
 - (e) lastly, upon the heirs of the husband.";
- (iii) clause (a) of sub-section (2) of section 15 had been omitted;
- (iv) section 23 had been omitted.

P

- 17. मरुमक्कत्तायम् और अलियसन्तान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबन्ध
 - धाराओं 8, 10, 15 और 23 के उपबन्ध उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमक्कत्तायम् विधि या अलियसन्तान विधि द्वारा शासित होते, ऐसे प्रभावशील होंगे मानो :-
 - (i) धारा 8 के उपखण्डों (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्:-
 - "(ग) तृतीयत:, यदि दोनों वर्गों में किसी का कोई वारिस न हो तो उसके सम्बन्धियों को चाहे वे गोत्रज हों या बन्धु हों ।";
 - (ii) धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से लेकर (ङ) तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्:-
 - "(क) प्रथमतः, पुत्रों और पुत्रियों को (जिनके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) और माता को
 - (ख) द्वितीयतः, पिता और पति को;
 - (ग) तृतीयत:, माता के वारिसों को;
 - (घ) चतुर्थत:, पिता के वारिसों को तथा
 - (ङ) अन्तत:, पति के वारिसों को ।"
 - (iii) धारा 15 की उपधारा (2) का खण्ड (क) लुप्त कर दिया गया हो;
 - (iv) धारा 23 लुप्त कर दी गई हो ।



20. Right of child in womb.

A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate.

20. गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार

जो अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात् जीवित पैदा हुआ हो उसके निर्वसीयत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा हुआ होता; और ऐसी दशा में विरासत निर्वसीयत की मृत्यु की तारीख से उसमें निहित समझी जाएगी।



General provisions relating to succession

18. Full blood preferred to half blood.

Heirs related to an intestate by full blood shall be preferred to heirs related by half blood, if the nature of the relationship is the same in every other respect.

उत्तराधिकार से संबंधित साधारण उपबंध

18. पूर्णरक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है निर्वसीयत से पूर्णरक्त सम्बन्ध रखने वाले वारिसों को अर्धरक्त सम्बन्ध रखने वाले वारिसों पर अधिमान प्राप्त होगा यदि उस सम्बन्ध की प्रकृति सब प्रकार से वही हो।



- 19. Mode of succession of two or more heirs.
 - If two or more heirs succeed together to the property of an intestate, they shall take the property, —
 - (a) save as otherwise expressly provided in this Act, per capita and not per stirpes; and
 - (b) as tenants-in-common and not as joint tenants.
- 19. दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग यदि दो या अधिक वारिस निर्वसीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे सम्पत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे-
 - (क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबन्धित के सिवाय व्यक्तिवार, न कि शाखावार आधार पर लेंगे: और
 - (ख) सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे।



21. Presumption in cases of simultaneous deaths.

Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them, and if so which, survived the other, then, for all purposes affecting succession to property, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the younger survived the elder.

21. सम-सामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा

जहां कि दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हों जिनमें यह अभिनिश्चित हो कि उनमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं और रहा तो कौन सा, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि किनष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।

22. Preferential right to acquire property in certain cases.

(1) Where after the commencement of this Act, an interest in any immovable property of an intestate, or in any business carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolves upon two or more heirs specified in class I of the Schedule, and any one of such heirs proposes to transfer his or her interest in the property or business, the other heirs shall have a preferential right to acquire the interest proposed to be transferred.

The consideration for which any interest in the property of the deceased may be transferred under this section shall, in the absence of any agreement between the parties) be determined by the court on application being made to it in this behalf, and if any person proposing to acquire the interest is not willing to acquire it for the consideration so determined, such person shall be liable to pay all costs of or incident to the application.

(3) If there are two or more heirs specified in class I of the Schedule proposing to acquire any interest under this section, that heir who offers the highest consideration for the transfer shall be preferred.



22. कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

- (1) जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् निर्वसीयत की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने वाले किसी कारबार में के हित में अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिसों को न्यागत हों और ऐसे वारिसों में से कोई उस सम्पत्ति या कारबार में अपने हित के अन्तरण की प्रस्थापना करे वहां ऐसे अन्तरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा ।
- (2) मृतक की सम्पत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अन्तरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी न हो तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के, या उससे आनुषंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा ।
- (3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे।

Explanation. — In this section, "court" means the court within the limits of whose jurisdiction the immovable property is situate or the business is carried on, and includes any other court which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

स्पष्टीकरण – इस धारा में "न्यायालय" से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर वह स्थावर सम्पत्ति आस्थित है या कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।



- 23. Omitted
- 24. Omitted
- 23. लोपित
- 24. लोपित



25. Murderer disqualified.

A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered, or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder.

25. हत्या करने वाला निरर्हित होगा

जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है वह हत व्यक्ति की सम्पत्ति या ऐसी किसी अन्य सम्पत्ति को, जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निरर्हित होगा।



26. Convert's descendants disqualified.

Where, before or after the commencement of this Act, a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives, unless such children or descendants are Hindus at the time when the succession opens.

26. संपरिवर्तितों के वंशज निरर्हित होंगे

जहां कि कोई हिन्दू इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् धर्म- संपरिवर्तन के कारण हिन्दू न रह गया हो या न रहे वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात् पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिन्दू सम्बन्धियों में से किसी की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निरिहत होंगे सिवाय जब कि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबिक उत्तराधिकार खुले, हिन्दू हों।



27. Succession when heir disqualified.

If any person is disqualified from inheriting any property under this Act, it shall devolve as if such person had died before the intestate.

27. उत्तराधिकार जबिक वारिस निरर्हित हो

यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निरर्हित हो तो वह सम्पत्ति ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसीयत के पूर्व मर चुका हो।

IGC RETIRE



REGULAR C@URSE

PAPER 1" & 2" (LAW)

6 Honths or Becomber Exem Date



RS. 8,999/-Only MRP 149997-

Download the App. New



3 Mock Test (Poper 1 & 2)



Doily 2 Hours Live Classes



All Recorded Repid Lectures



(Recorded) by (Recorded) by Research Palliwol



Evening Shift Course



QR Contract Enrol etc. scot sett mos. Birthays Court Courant



TRE apply.



28. Disease, defect, etc. not to disqualify.

No person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity, or save as provided in this Act, on any other ground whatsoever.

28. रोग, त्रुटि आदि से निरर्हता न होगी

कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटि या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबन्धित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वह कोई क्यों न हो, निरर्हित न होगा।



Escheat

29. Failure of heirs.

If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this Act, such property shall devolve on the Government; and the Government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject.

29. वारिसों का अभाव

यदि निर्वसीयत ऐसा कोई वारिस पीछे न छोड़े जो उसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उत्तराधिकार में पाने के लिए अई हो तो ऐसी सम्पत्ति सरकार को न्यागत होगी और सरकार ऐसी सम्पत्ति को उन सब बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिनके अध्यधीन वारिस होता।

राजगामित्व



CHAPTER III TESTAMENTARY SUCCESSION

30. Testamentary succession-

Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him or by her, in accordance with the provisions of the Indian Succession Act, 1925, or any other law for the time being in force and applicable to Hindus.

Explanation. — The interest of a male Hindu in a Mitakshara coparcenary property or the interest of a member of a tarwad, tavazhi, illom, kutumba or kavaru in the property of the tarwad, tavazhi, illom, kutumba or kavaru shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section.



अध्याय 3

वसीयती उत्तराधिकार

30. वसीयती उत्तराधिकार

कोई हिन्दू विल द्वारा या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या हिन्दुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को व्ययनित कर सकेगा या कर सकेगी जिसका ऐसे व्ययनित किया जाना शक्य हो। स्पष्टीकरण- मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में हिन्दू पुरुष का हित या तरवाड, ताविष, इल्लम, कुटुम्ब या कवरु की सम्पत्ति में तरवाड, ताविष, इल्लम्, कुटुम्ब या कवरु के सदस्य का हित इस अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अर्थ के अन्दर ऐसी सम्पत्ति समझी जाएगी जिसका उस द्वारा व्ययनित किया जाना शक्य हो।



CHAPTER IV REPEALS

31. Repeals

अध्याय 4 निरसन

31. निरसित



THE SCHEDULE

(See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son.



अनुसूची (धारा 8 देखिए) वर्ग 1 और वर्ग 2 में वारिस

वर्ग 1

पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र; पूर्व मृत पुत्री की पुत्री ।



Class II

- I. Father.
- (1) Son's daughter's son, (2) son's daughter's daughter, (3) brother,
 (4) sister.
- III. (1) Daughter's son's son, (2) daughter's son's daughter, (3) daughter's daughter's daughter's son, (4) daughter's daughter's daughter.
- IV. (1) Brother's son, (2) sister's son, (3) brother's daughter, (4) sister's daughter.
- V. Father's father; father's mother.
- VI. Father's widow; brother's widow.
- VII. Father's brother; father's sister.
- VIII. Mother's father; mother's mother.
- IX. Mother's brother; mother's sister.

Explanation. — In this Schedule, references to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood.



वर्ग 2

- I. पिता।
- II. (1) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री, (3) भाई, (4) बहिन।
- III. (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र, (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री, (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र, (4) पुत्री की पुत्री।
- IV. (1) भाई का पुत्र, (2) बहिन का पुत्र, (3) भाई की पुत्री, (4) बहिन की पुत्री।
- V. पिता का पिता, पिता की माता।
- VI. पिता की विधवा, भाई की विधवा।
- VII. पिता का भाई, पिता की बहिन।
- VIII. माता का पिता, माता की माता।
- IX. माता का भाई, माता की बहिन।

स्पष्टीकरण - इस अनुसूची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदरक्त के हों।



































